




राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक: एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /2018-19/ 34

जयपुर 23/8/18

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक एवं अति. आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
8. सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।

विषय:- मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "अन्नपूर्णा दूध योजना" को सप्ताह में छः दिन लागु किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 15.08.2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित "अन्नपूर्णा दूध योजना" के तहत सभी राजकीय विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 01 सितम्बर 2018 से सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर छः दिन दूध उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई उक्त घोषणा की अनुपालना में अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत सभी राजकीय विद्यालयों एवं मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को दिनांक 01.09.2018 से सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर छः दिन दूध उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे। अन्नपूर्णा दूध योजना के लिये दिनांक 22.05.2018 एवं 25.06.2018 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जावेगा।

यह निर्देश वित्त विभाग की आईडी संख्या 101804887 दिनांक 23.08.2018 की सहमति से जारी किये जाते हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

www.rajteachers.com


(वेद सिंह)
आयुक्त
मिड डे मील

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री /राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
- 5 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- 9 सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
- 10 विभागाध्यक्ष, (समस्त) राजस्थान।
- 11 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 12 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर।
- 13 निदेशक, (एमडीएम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 14 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, /अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
- 15 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, समस्त
- 16 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)।
- 17 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.09.2018 से अन्नपूर्णा दूध योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ हेतु सम्बन्धित को निर्देश प्रदान करावें।
- 18 अति. आयुक्त (वित्त), मिड डे मील, जयपुर।
- 19 उपायुक्त (क्रि.मो.) मिड डे मील, जयपुर।
- 20 उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
- 21 ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (समस्त)
- 22 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी PEEO(समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत सप्ताह में छः दिन दूध की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- 23 प्रबन्धक, अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर।
- 24 प्रबन्धक, अदम्य चेतना ट्रस्ट, जोधपुर।
- 25 प्रबन्धक, अन्नमृत फाउण्डेशन, जयपुर।
- 26 प्रबन्धक, क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर।
- 27 समस्त संचालक, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति।
- 28 प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 29 रक्षित पत्रावली।